भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ई–न्यूज़लेटर

जनवरी 2024

उदयपुर, गोमती जिला, त्रिपुरा में दिनांक 15 दिसंबर 2023 को भादूविप्रा की कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री मीनाक्षी गुप्ता ने विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम पर मुख्य भाषण दिया।

विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा द्वारा उदयपुर, त्रिपुरा में दिनांक 15 दिसंबर 2023 को विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भादूविप्रा की सदस्य और कार्यवाहक अध्यक्ष सुश्री मीनाक्षी गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दूरसंचार और प्रसारण उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण हेतु भादूविप्रा द्वारा शुरू की गई पहल के बारे में शिक्षित करना है। इस अवसर पर सुश्री मीनाक्षी गुप्ता ने मुख्य भाषण दिया और भारत के विकास में सूचना और दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका और दूरसंचार क्षेत्र के विकास में भादूविप्रा द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस दौरान यह भी उल्लेख किया कि भादूविप्रा का ध्यान अब डिजिटल विभाजन को पाटने और समाज के विभिन्न वर्गों तक दूरसंचार सेवाओं हेतु अभिगम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर होगा।

भादूविप्रा के जनसंपर्क सलाहकार श्री महेंद्र श्रीवास्तव ने गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के महत्व और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु भादूविप्रा द्वारा अपनाए गए विभिन्न उपायों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में हो रहे विभिन्न तकनीकी विकास के बारे में भी बताया।

सेमिनार

क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु द्वारा दिनांक 05 दिसंबर 2023 को मैसूरु (कर्नाटक) में "उभरते साइबर-सुरक्षा खतरे-शमन रणनीतियाँ" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

मैसूरु (कर्नाटक) में "उभरती साइबर-सुरक्षा ख़तरे-शमन रणनीतियाँ" विषय पर सेमिनार का आयोजन। किया गया। इस सेमिनार के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऐसे साइबर अपराधों की रोकथाम से संबंधित संभावित साइबर सुरक्षा खतरों और चुनौतियों/अवसरों पर चर्चा करना था।

पुलिस विभाग, आरबीआई, दूर संचार विभाग, शिक्षा जगत और उद्योग के प्रतिष्ठित वक्ताओं को इस विषय पर बोलने हेतु आमंत्रित किया गया था। उद्घाटन सत्र के दौरान, भादूविप्रा के सलाहकार श्री ब्रजेंद्र कुमार ने अपने स्वागत भाषण में सेमिनार सत्रों की संक्षिप्त रूपरेखा के अलावा भादूविप्रा की भूमिकाओं और कार्यों के बारे में जानकारी दी। श्री रमेश बनोथ, आईपीएस, पुलिस आयुक्त, मैसूर द्वारा मुख्य भाषण दिया गया, जिन्होंने साइबर अपराधों से निपटने में मैसूर सिटी पुलिस की पहल के बारे में चर्चा की। उन्होंने लगातार विकसित हो रहे खतरों के प्रति सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि कैसे जालसाज भोले-भाले व्यक्तियों को धोखा देने में सक्षम थे, जो बाद में पुलिस के पास पहुंचे, जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें साइबर बदमाशों ने धोखा दिया है। उन्होंने लोगों को साइबर अपराध हेल्पलाइन से संपर्क करने और ऐसे सभी मामलों में बिना देरी किए कानून प्रवर्तन अधिकारियों से संपर्क करने की सुझाव दी।

श्री के.एन.यशवंत कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, साइबर अपराध प्रभाग, सीआईडी, कर्नाटक ने फर्जी पहचान का उपयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए साइबर अपराध सहित साइबर अपराध के सभी पहलुओं को व्यापक रूप से कवर किया। उन्होंने ऐसे अपराधों के कई उदाहरण दिए जहां लोगों ने पुलिस, सेना अधिकारी या बैंक, उपयोगिता कंपनी या कूरियर के कर्मचारी के रूप में पेश किए गए धोखेबाज पर विश्वास करके बहुत सारे पैसे खो दिए। उन्होंने ऐसे किसी भी कॉल या संदेश से निपटने के दौरान अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में बताया। स्थानीय कन्नड़ भाषा में उनके द्वारा की गई बातचीत ने दर्शकों को पूरे सत्र के दौरान पूरी तरह बांधे रखा।

श्रीमती जे सैलजा रानी, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु ने "*आरबीआई कहता है...जानकार बनिए, सतर्क रहिए*" अभियान के माध्यम से आरबीआई द्वारा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक व्याख्यान दिया। उन्होंने धोखाधड़ी की स्थिति में बैंक उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों के बारे में बताया। उन्होंने कार्ड टोकनीकरण प्रक्रिया का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार ई-कॉमर्स/व्यापारी वेबसाइटों द्वारा क्रेडिट कार्ड विवरणों को संग्रहीत करने की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने बैंकों द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों बनाम ग्राहक सुविधा की मुद्रा के बीच संतुलन के बारे में पूछताछ का उत्तर दिया। कुल मिलाकर, सत्र बहुत परस्पर संवादात्मक रहा जिसमें बैंक ग्राहक के परिप्रेक्ष्य से दर्शकों की ओर से बहुत सारे सवाल पूछे गये।

श्री प्रसन्न वी, सूचना सुरक्षा और डेटा गोपनीयता पेशेवर, बेंगलुरु और 'साइबर कोशिएंट' तथा 'साइसेक', एक कर्नाटक सरकार से संबद्ध साइबर सुरक्षा संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने संगठनों द्वारा अपनाई गई साइबर सुरक्षा प्रथाओं, राज्य अभिनेताओं द्वारा पेश किए गए खतरों, रैंसमवेयर अपराधियों को भुगतान के लिए क्रिप्टो मुद्राओं के उदय के बारे में विचार व्यक्त किया। उन्होंने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध संपत्ति मालिकों के बायोमेट्रिक डेटा से संबंधित सुरक्षा मुद्दों और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) धोखाधड़ी में इसके दुरुपयोग के बारे में भी बात की। उन्होंने दर्शकों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाई गई विभिन्न सोशल इंजीनियरिंग विधियों और ऐसे खतरों के खिलाफ सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी।

टीएसी - साइबर वर्स फाउंडेशन, मैसूर के प्रमुख श्री निरंजन मका ने उद्योग के परिप्रेक्ष्य से विषय पर चर्चा की। उन्होंने अत्यधिक जुड़े विश्व के बारे में तथा कैसे प्रौद्योगिकी ने व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ आवृत्त किया है, पर चर्चा की। एआई सक्षम सेवाओं के प्रसार के साथ, सब कुछ स्मार्ट होने पर, निगरानी गतिविधि में बहुत सारे डेटा कैप्चर शामिल होते हैं। चूंकि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, बड़े उद्यम व्यवसाय और उनके ग्राहकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा फ्रेमवर्क को नियोजित करते हैं। आमतौर पर अंदरूनी लोगों से ही जोखिम अधिक होते हैं और इसलिए सिस्टम, नेटवर्क, संवेदनशीलता, धमकी निगरानी की जागरूकता आवश्यक है। एक बार घटना हो जाने पर लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग, बीमा दावा आदि से अलग उचित प्रतिक्रिया व्यवस्था अवश्य स्थापित होना चाहिए।

श्री अतुल कुमार करेलिया, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय संचार सुरक्षा केंद्र (एनसीसीएस), दूरसंचार विभाग, बेंगलुरु ने सरकार का दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने भारत में खतरों का पता लगाने और उसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया व्यवस्था के लिए सुरक्षा ढांचे के बारे में बात की। उन्होंने इस रणनीति की ओर काम करने वाले विभिन्न संगठनों के बारे में बताया जैसे कि एनएससीएस, एनटीआरओ, एनसीआईआईपीसी, एनआईसीआरडी, सीईआरटी-इन, सेक्टोरियल एसओसी जिसमें दूरसंचार, साइबर स्वच्छता केंद्र, I4सी शामिल हैं। उन्होंने इस संदर्भ में यह भी बताया कि कैसे भारत ने आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में 35 अंक आगे बढ़कर 10वां स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने एनसीसीएस की कमसेक योजना तथा कैसे यह 'विश्वसनीय स्रोतों' से मूल की आवश्यकता सहित सुरक्षित टेलीकॉम उपकरणों की तैनाती सुनिश्चित करेगा, के बारे में विस्तार से बात की।

श्री जगदीश ए टी सहायक प्रोफेसर, जेएसएस लॉ कॉलेज (स्वायत्त), मैसूर साइबर लॉ साइबर स्पेस कंप्यूटरों पर खुलकर बातें की गई थी जिसमें साइबर-हमले के मामले में पीड़ित के लिए उपलब्ध उपाय के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्पों के बारे में समझाया। प्रत्येक जिले में साइबर, आर्थिक और नारकोटिक्स अपराधों के लिए पुलिस स्टेशनों की स्थापना के बारे में बताया। उन्होंने आईटी अधिनियम, 2000 में विभिन्न शब्दों की कानूनी परिभाषाओं को समझाया। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह अधिनियम, जिसका मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स को सुगम बनाना था, अब डिजिटल इंडिया अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। उन्होंने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, आईपीसी और साइबर सुरक्षा घटनाओं के मामले में सुरक्षा कैसे करें, पर संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा की।

सेमिनार में भाग लेने वाले प्रतिभागी सरकार, उद्योग तथा अकादमिक क्षेत्र की विविध पृष्ठभूमि से संबंधित थे।

कार्यक्रम

भादूविप्रा ने "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और लैंगिक समानता सुनिश्चित करना" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, ताकि भादूविप्रा के कर्मचारियों में एसएच अधिनियम के तहत जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके। डॉ. सैयद मुबीन ज़ेहरा, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, एआएसडीसी, डीयू, ने 7 दिसंबर 2023 को इस सभा को संबोधित किया।

दूरसंचार सब्सक्रिप्शन

दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सब्सक्रिप्शन डेटा:

विवरण	वायरलेस	वायरलाइन	कुल
शहरी टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	630.36	28.63	658.99
ग्रामीण टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (मिलियन)	520.62	2.70	523.32
कुल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स (लाखों)	**1150.98**	**31.33**	**1182.31**
समग्र दूरसंचार-घनत्व(%)	82.54	2.25	84.79
शहरी सदस्यता का हिस्सा (%)	54.77	91.38	55.74
ग्रामीण सब्सक्राइबर्स का हिस्सा (%)	45.23	8.62	44.26
ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या (मिलियन)	850.92	37.35	888.27

अक्टूबर 2023 में पीक वीएलआर की तारीख पर सक्रिय वायरलेस सब्सक्राइबर की संख्या 1045.46 मिलियन थी।

अक्टूबर 2023 में, 12.72 मिलियन सब्सक्राइबरों द्वारा एमएनपी के लिए अनुरोध किए गए थे। इसके कार्यान्वयन के बाद से अक्टूबर 2023 के अंत तक, कुल 902.80 मिलियन उपभोक्ताओं ने एमएनपी सुविधा का लाभ उठाया।

विविध

भादूविप्रा ने दिसंबर 2023 को डिजिटल संबोधनीय (एड्रेसेबल) प्रणाली डीएएस) की लेखापरीक्षा को अंजाम देने हेतु लेखापरीक्षकों की अद्यतन सूची जारी की, जिसमें दो लेखापरीक्षक, मेसर्स अग्रवाल एवं धंधानिया और मेसर्स रतन राठी एण्ड कंपनी को हटा दिया गया था। इसके अलावा, भादूविप्रा ने दिनांक 29 दिसंबर 2023 को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स (डीएएस) की लेखापरीक्षा को अंजाम देने के लिए लेखापरीक्षकों की एक और अद्यतन सूची जारी की, जिसमें एक लेखापरीक्षक मेसर्स बंसल आर. कुमार एण्ड एसोसिएट्स को शामिल किया गया और दो लेखापरीक्षक मेसर्स ब्रांड एण्ड एसोसिएट्स एलएलपी और मेसर्स हरिभक्ति एण्ड कंपनी एलएलपी को हटा दिया गया। दिनांक 31 दिसंबर 2023 को डीएएस के ऑडिट के लिए भादूविप्रा द्वारा सूचीबद्ध किए गए लेखापरीक्षकों की कुल संख्या 47 है।

उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

भादूविप्रा ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (एससीओपी)/ उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम (सीओपी) निम्नानुसार आयोजित किए:

क्र.सं.	स्थान	तारीख
1	गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	6 दिसंबर 2023
2	छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)	7 दिसंबर 2023
3	पेरनेम (गोवा)	12 दिसंबर 2023
4	वेल्लोर (तमिलनाडु)	14 दिसंबर 2023
5	गोमती (त्रिपुरा)	15 दिसंबर 2023
6	बोटाद (गुजरात)	19 दिसंबर 2023
7	प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)	20 दिसंबर 2023
8	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	21 दिसंबर 2023
9	विजयनगरम (आंध्र प्रदेश)	22 दिसंबर 2023
10	महावीर नगर (रायपुर)	26 दिसंबर 2023
11	कैथल (हरियाणा)	27 दिसंबर 2023
12	पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)	29 दिसंबर 2023

फोटो गैलरी

भादूवीप्रा, मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2023 को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद द्वारा दिनांक 14 दिसंबर 2023 को वेल्लोर (तमिलनाडु) में सभी महिला छात्रों के लिए विशेष सीओपी का आयोजन। सुश्री वीना, पुलिस निरीक्षक, वेल्लोर ने महिला सुरक्षा और बरती जाने वाली सावधानियों पर सभा को संबोधित किया और सुश्री अबर्ना, पुलिस निरीक्षक, साइबर अपराध, वेल्लोर ने साइबर धोखाधड़ी और जागरूकता में ही सुरक्षा निहित है, पर अपनी प्रस्तुति दी।

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता द्वारा दिनांक 15 दिसंबर 2023 को गोमती (त्रिपुरा) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती. मीनाक्षी गुप्ता ने इस अवसर पर अपना मुख्य भाषण दिया।

क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2023 को बोटाद (गुजरात) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 20 दिसंबर 2023 को प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2023 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2023 को विजयनगरम (आंध्र प्रदेश) में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 2023 को रायपुर के महावीर नगर में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर द्वारा कैथल (हरियाणा) में दिनांक 27 दिसंबर 2023 को आयोजित उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस के साइबर अपराध विशेषज्ञ द्वारा जागरूकता सत्र लेते हुए।

क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2023 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में बागमुंडी में जनजाति आबादियों के लिए विशेष उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम।

न्यूजलेटर में उल्लिखित निर्देशों/आदेशों/परामर्श पत्र/रिपोर्ट, सदस्यता डेटा आदि का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, (ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली-110002

हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं! हमसे https://www.facebook.com/TRAI/ पर जुड़ें!

हम ट्विटर पर भी हैं! हमें 𝕏 TRAI@TRAI पर फॉलो करें

****